न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-4/2017

आम जनता बनीयाना जरिये:-

1- पप्पू उर्फ रामनिवास पुत्र भौरीलाल जाति मीना निवासी बनीयाना

2- सुरेश पुत्र मोती जाति गुर्जर निवासी बनीयाना तहसील लवाण

3- कैलाश पुत्र नानगाराम सैनी निवासी बनीयाना तहसील लवाण जिला दौसा।

---अपीलान्टस---

--बनाम---

1- सरकार जरिये जिला कलेक्टर दौसा जिला दौसा ।

2- तहसीलदार तहसील लवाण ।

3- ग्राम पंचायत बनीयाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बनीयाना ।

4- सचिव ग्राम पंचायत बनीयाना ।

5- पंचायत समिति लवाण जरिये विकास अधिकारी ।

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक
16-7-2015 द्वारा जिला
कलेक्टर, दौसा ।
--0--

उपस्थिति-

1- श्री विधाधर खयालिया एडवोकेट- अपीलान्ट

2- श्री पोकरमल चौधरी राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक- 20.12.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत बनीयाना के प्रस्ताव सं0-4 दिनांक 5-2-2004 के आधार पर तहसीलदार दौसा ने अपने पत्रांक 4459 दिनांक 31-7-2004 तथा उप खण्ड अधिकारी दौसा ने अपने पत्रांक-586 दि0 6-5-2005 के द्वारा ग्राम बनियाना तहसील दौसा स्थित राजकीय चारागाह भूमि

भूमि खसरा नं0 144 रकबा 5.24 हैक्टर में से 1.00 हैक्टर भूमि को आवास विहीन परिवाराके को आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराने के लिये आबादी हेतु आरक्षित/ सैटअपार्ट करने का प्रस्ताव भिजवाया । जिसकी तहसीलदार दौसा एवं उप खण्ड दौसा अधिकारी दौसा ने अपनी सिफारिश की । अदालत मातहत में ग्राम पंचायत बनियाना द्वारा उक्त भूमि को आबादी हेतु आरक्षित हेतु प्रस्ताव संख्या-11 दिनांक 5-2-2014 भिजवाया जिसकी सिफारिश तहसीलदार एवं उप खण्ड अधिकारी दौसा ने सिफारिस की । जिस पर अदालत मातहत ने प्रकरण में जांच करते हुये आराजी ख0नं0 144 रकबा 5.24 हैक्टर में से 1.00 हैक्टर भूमि का ग्राम पंचायत आबादी हेतु आरक्षित की गई । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । ग्राम की आबादी भूमि का आम जनता की जानकारी में लाये बिना आम जनता के हक अधिकार की चारागाह भूमि का मनमानी पूर्वक विधि के विपरित सम्परिवर्तन किया गया जो गलत है ।ग्राम में चारागाह भूमि केवल 5.24 हैक्टर है। उसमें से भी 1.00 हैक्टर भूमि आबादी हेतु दे दी जाती है तो शेष 16-17 बीघा भूमि रह जाती है जो गांव की मवेशीयों की संख्या-5000 से कम नहीं है जिनके लिये यह चारागाह भूमि कम रह जाती है ।गांव के मवेशीयों की संख्या-1568 बताई है । यदि यह संख्या-1568 भी मान ली जाये तो भी मवेशियों के लिये चारागाह भूमि कम है । भूमि के सैट अपार्ट होने के बाद नामान्तरकरण होकर ग्राम पंचायत के नाम अंकित हो चुकी किन्तु उक्त आराजी का कब्जा ग्राम पंचायत को नहीं दिया गया है ।ग्राम पंचायत कब्जा प्राप्त करने की कोशीश कर रही है और कब्जा प्राप्त कर किसी भी समय पटटा जारी कर सकती है जिससे चारागाह भूमि बर्बाद हो जायेगी जिससे आम जनता को भारी क्षति होगी ।अदालत मातहत के आदेश की जानकारी दिनांक 7-1-2016 को हुई जिस पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई ।बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी ख0नं0 144 रकबा 5.24 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन चारागाह भूमि है जो गांव की मवेशियों के चरने के लिये रखी हुई है ।इस आराजी के अलावा गांव में अन्य कोई चारागाह भूमि नहीं है जो गांव के पशुओं की संख्या को दखते हुये कम है । इस आराजी में से 1.00 हैक्टर भूमि ग्राम पंचायत को आबादी के लिये सैट अर्पाट करने के बाद केवल 16-17 बीघा भूमि चारागाह की बचती है जो पशुओं की संख्या- के अनुसार कम है ।अदालत मातहत के आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत के नाम नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया है । ग्राम पंचायत इस आराजी का कब्जा प्राप्त कर पटटे जारी करने पर आमादा है । यदि ग्राम पंचायत इस मकसद में सफल हो जाती है तो ग्राम की आम जनता को काफी नुकशान होगा । ग्राम की जनता के हितों को ध्यान में रखकर अपील स्वीकार की जावे । अपीलान्ट को बिना सुने अदालत मातहत ने यह आदेश पारित किया । जिससे निर्णय की जानकारी होने पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद है ।अतः अपीलान्ट की अपील अन्दर मियाद शुमार कर अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 16-7-2015 खारिज किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता एवं सरपंच ग्राम पंचायत ने लिखित बहस पेश करते हुये कथन किया कि अदालत मातहत का आदेश उचित एवं विधिक है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं है । तहसीलदार एवं उप खण्ड अधिकारी दौसा ने राजकीय चारागाह भूमि में से 1.00 हैक्टर भूमि आवासहीन परिवारों को आवसीय भू-खण्ड उपलब्ध कराने के लिये आबादी हेतु आरक्षित/ सैटअर्पाट करने का प्रस्ताव भिजवाया है ।इसके बाद अदालत मातहत ने संयुक्त शासन सचिव राजस्व(ग्रुप-6) विभाग राज0 सरकार जयपुर के परिपत्र क्रमांक प-10(3)राज-6/2001/5 दिनांक 26-6-2013 के परिप्रेक्ष्य में सभी तथ्यों की जांच करते हुये ख0नं0 144 रकबा 5.24 हैक्टर में से 1.00 हैक्टर भूमि आरक्षित कर

रकबा 5.24 हैक्टर में से कम कर आंवटित की है ।आंवटन/सैटअपार्टxx में तीन शर्तों के साथ कार्यवाही करने के भी आदेश दिये है ।उक्त आरक्षित आबादी भूमि में से आंवटन आवासहीन , बी0पी0एल लोगों के लिये है । जबकि रामसिंह गूर्जर ठेकेदार है जो फर्म रामसिंह महावीर कन्सट्रक्शन कम्पनी चलाकर कार्य करता है । तथा राजनैतिक वर्चस्व भी रखता है ।अदालत मातहत का आदेश उचित है। अदालत मातहत के आदेश की अपीलान्ट को शुरू से ही जानकारी है ।अपीलान्ट ने यह अपील मियाद बाहर पेश की है । अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0- 2058 से 2061 में खसरा नं0 144 रकबा 5.24 हैक्टर की खातेदारी राजकीय चारागाह दर्ज है । खसरा गिरदावरी सं0-2058 से 2061 में आराजी चारागाह दर्ज है । कार्यालय ग्राम पंचायत बनियाना का प्रस्ताव संख्या-4 दिनांक 21-5-2004 में ख0नं0 144 में से 1.00 हैक्टर भूमि आबादी के लिये परिवर्तित करने का प्रस्ताव लिया । तहसीलदार(भू-अभि)दौसा ने अपने पत्रांक 2320 दिनांक 25-3-2006 से जांच कर अपनी रिपोर्ट भिजवाई है । उप जिला कलकटर दौसा ने अपने पत्रांक 1836 दिनांक 5-9-2014 में तहसीलदार की बिन्दू बार टिप्पणी के बाद उक्त आराजी को आबादी में आरक्षित किये जाने का निवेदन किया है । दिनांक 1-8-14 में भी तहसीलदार ने बिन्दूवार जांच कर उक्त आराजी ख0नं0 144 रकबा 5.24 हैक्टर में से 1.00 हैक्टर आराजी को आबादी हेतु आरक्षित करने की सिफारिश की है । विवादित आराजी जमाबन्दी एवं खसरा गिरदावरी सं0- 2058 से 2061 में चारागाह दर्ज हैं । जिसमें तहसीलदार एवं उप खण्ड अधिकारी दौसा की रिपोर्ट के अनुसार आबादी में सैटअपार्ट किया है ।अदालत मातहत ने आंवटन आदेश से पूर्व सभी प्रकार की विधिक प्रक्रियाओं की पालना करते हुये आंवटन/सैटअपार्ट आदेश पारित किया है । जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।अपीलान्ट ने यह अपील मियाद के बाहर पेश की है किन्तु अपील का निर्णय किसी कानूनी बिन्दू पर न कर गुणावगुण पर किये जाने के कारण अपीलान्ट की अपील में हुये विलम्ब को माफ कर अपील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव

अन्दर मियाद शुमार की जाती है ।

उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से खारिज की जाती है तथा विद्वान जिला कलेक्टर दौसा का आदेश दिनांक 16-7-2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 20.12.2017 को सुनाया गया ।

20/12/17

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर